पत्रांक : वित्त–19/विविध–05/2016..2353/

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग

राँची/दिनांक :09.10.2021

संकल्प

विषय : झारखण्ड वित्त निमयावली के नियम 235(क) में संशोधन के संबंध में।

योजना–सह–वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2504, दिनांक 24.07.2017 द्वारा झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235(क) के तौर पर GeM (Government e market place) portal के माध्यम से सामग्रियों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति के प्रावधान को सम्मिलित किया गया है। सभी विभागों एवं अधीनस्थ कार्यालयों के लिए झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235(क) के अनुसार GeM portal पर उपलब्ध वस्तुओं एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति बाध्यकारी है।

2. वित्त विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2504, दिनांक 24.07.2017 के अनुसार झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235(क) में निम्नवत् प्रावधान हैं :–

नियम 235 (क)

(i) ₹50,000/- तक के क्रय GeM पर उपलब्ध किसी आपूर्त्तिकर्त्ता से किया जा सकेगा, जो आवश्यक गुणवत्ता, विशिष्टता एवं आपूर्त्ति अवधि को पूर्ण करते हों।

(ii) ₹50,000/- से अधिक तथा ₹30,00,000/- तक के क्रय GeM पर उपलब्ध न्यूनतम मूल्यवाले बिक्रेता से किया जा सकेंगे, जिसमें कम से कम तीन अलग–अलग उत्पादनकर्त्ता के उत्पाद शामिल होंगे, जो आवश्यक गुणवत्ता, विशिष्टता एवं आपूर्त्ति अवधि को पूर्ण करते हों। सक्षम प्राधिकारी के आदेश से आवश्यकतानुसार GeM पर उपलब्ध online bidding और online reverse auction का उपयोग किया जा सकेगा।

(iii) ₹30,00,000/- से उपर के क्रय न्यूनतम मूल्य वाले विक्रेता से किया जा सकेगा, जो आवश्यक गुणवत्ता, विशिष्टता एवं आपूर्त्ति अवधि को पूर्ण करते हों। इस कोटि के लिए GeM पर उपलब्ध online bidding या reverse auction का प्रयोग बाध्यकारी होगा।

(iv) ई–निविदा (e-bidding)/ रिवर्स ऑक्शन (Reverse auction) की सुविधा GeM portal पर सभी विक्रेताओं या पोर्टल पर निबंधित विक्रेताओं को उपलब्ध होगी, जिन्होंने GeM की शर्तों के अनुसार अपने वस्तुओं/सेवाओं को प्रस्तुत किया हो।

(v) क्रय की उपर्युक्त वित्तीय अधिसीमा GeM से क्रय के लिए प्रभावी होगी। GeM से ईतर क्रय के लिए वित्त नियमावली के सांदर्भिक नियम एवं समय–समय पर निर्गत अनुदेश प्रभावी होंगे।

(vi) सभी प्रकार के बजट को PFMS से Integrate करने की GeM की योजना के तहत कार्रवाई की जायेगी।

(vii) सरकारी क्रेता मूल्य के औचित्य को सुनिश्चित करने के लिए GeM Portal पर उपलब्ध Business Analytic Tools, GeM पर अंतिम क्रय का मूल्य या विभाग द्वारा विगत क्रय का उपयोग कर सकेंगे।

(viii) वस्तुओं की अधिप्राप्ति की मांग को L1 क्रय/निविदा/रिवर्स ऑक्शन अथवा उच्च पदाधिकारी की स्वीकृति से बचने के लिए अधिप्रापित किये जाने वाले वस्तुओं के प्रक्कलन राशि के संदर्भ में विखंडित नहीं किया जायेगा।

3. सम्प्रति भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के OM. No. – F.1/26/2018-PPD दिनांक 02.04.2019 एवं OM. No. – F.1/26/2018-PPD दिनांक 09.08.2021 द्वारा GeM portal के माध्यम से क्रय हेतु पूर्व के प्रावधानों में संशोधन किया गया है।

4. उक्त के आलोक में सम्यक् विचारोपरांत झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235(क),(i), (ii) एवं (iii) को निम्नवत् संशोधित किया जाता है :–

(i) ₹25,000/- तक के क्रय GeM पर उपलब्ध किसी आपूर्तिकर्त्ता से किया जा सकेगा, जो आवश्यक गुणवत्ता, विशिष्टता एवं आपूर्त्ति अवधि को पूर्ण करते हों। केवल Automobiles के अधिप्राप्ति के मामले में क्रय की अधिसीमा ₹30,00,000/- होगी।

(ii) ₹25,000/- से अधिक तथा ₹5,00,000/- तक के क्रय GeM पर उपलब्ध न्यूनतम मूल्यवाले बिक्रेता से किये जा सकेंगे, (Automobiles अधिप्राप्ति हेतु पूर्ववत् अधिकतम ₹30,00,000/- तक की अधिसीमा यथावत् रहेगी।), जिसमें कम से कम तीन अलग–अलग उत्पादनकर्त्ता के उत्पाद शामिल होंगे, जो आवश्यक गुणवत्ता, विशिष्टता एवं आपूर्त्ति अवधि को पूर्ण करते हों। क्रेता द्वारा आवश्यकतानुसार ₹5,00,000/- से न्यूनतम मूल्यवाले सामग्रियों/सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु GeM पर उपलब्ध online bidding एवं online reverse auction का उपयोग किया जा सकेगा।

(iii) ₹5,00,000/- से उपर के क्रय न्यूनतम मूल्य वाले विक्रेता से किया जा सकेगा, जो आवश्यक गुणवत्ता, विशिष्टता एवं आपूर्त्ति अवधि को पूर्ण करते हों। इस कोटि के लिए GeM पर उपलब्ध online bidding अथवा online reverse auction का प्रयोग बाध्यकारी होगा।

5. झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235(क) केवल GeM portal पर उपलब्ध सुविधाओं के लिए ही प्रभावी है। GeM portal पर सामग्रियों/सेवाओं की अनुपलब्धता होने की स्थिति में GeM के माध्यम से Report प्राप्त करते हुए सक्षम स्तर से सहमति प्राप्त कर वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत परिपत्रों/आदेशों/संकल्पों के आलोक में सामग्रियों/सेवाओं की अधिप्राप्ति की कार्रवाई की जा सकेगी।

6. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 2115/वि० दिनांक 14.09.2021 के क्रम में दिनांक 28.09.2021 की बैठक के मद सं० 06 में दी गई है।

<u>आदेश</u> :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखंड, राँची/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(अजय कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक : वित्त–19/विविध–05/2016-2353/वि० राँची, दिनांक 08.10.2021

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक : वित्त–19/विविध–05/2016 2353/वि० राँची, दिनांक 08.10.2021

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी कोषागार/उप–कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/जन सूचना कोषांग, वित्त विभाग, झारखंड/अवर सचिव (लेखा शाखा), वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रभारी, पी०एम०यू० कोषांग, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अजय कुमार सिंह)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक : वित्त–19/विविध–05/2016 2353/वि० राँची, दिनांक 08.10.2021

प्रतिलिपि : सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को इस आदेश के साथ प्रेषित कि वे इस संकल्प का प्रकाशन राजपत्र असाधारण अंक में करके e-गजट के रूप में वित्त प्रशाखा–19 को सूचना उपलब्ध करावें।

(अजय कुमार सिंह)
प्रधान सचिव